बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
(उर्दू निदेशालय)

आदेश

निबंधित

का० आ० सं० उ०नि०– 99/96 ..../16..../रा0, **पटना, दिनांक** 26.2.14

जिला पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक– 22 दिनांक 31.01.09 द्वारा श्री परवेज नजीर, सहायक उर्दू अनुवादक–सह–नाजिर, सिकटी प्रखण्ड, जिला– अररिया के विरूद्ध इन्दिरा आवास की राशि को अनियमित रूप से डेहटी पैक्स में जमा करने के कारण उन्हें निलम्बित करने एवं विभागीय कार्यवाही चलाने का आदेश प्राप्त हुआ।

उक्त आदेश के आलोक में विभागीय आदेश 16/रा० दिनांक 22.05.09 के अधीन श्री परवेज नजीर, सहायक उर्दू अनुवादक–सह–नाजिर, सिकटी प्रखण्ड, जिला–अररिया को निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित करने का आदेश जिला पदाधिकारी, अररिया को भेजा गया।

श्री परवेज नजीर, निलम्बित, सहायक उर्दू अनुवादक–सह–नाजिर, सिकटी प्रखण्ड, जिला– अररिया के विरूद्ध चलायी गयी विभागीय कार्यवाही से संबंधित अभिलेख एवं जाँच–प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी, अररिया ने अपने पत्रांक– 223/स्था० दिनांक 16.02.2010 द्वारा निदेशक (उर्दू) को निर्णयार्थ उपलब्ध कराया।

श्री परवेज के विरूद्ध यह आरोप है कि उन्होंने डेहटी पैक्स में अनियमित रूप से खाता खोलकर इन्दिरा आवास की रुपये 790.25 लाख (सात सौ नब्बे लाख पच्चीस हजार) रुपये की राशि को अनियमित रूप से जमा कर इन्दिरा आवास मार्गदर्शिका का उलघंन किया तथा उप विकास आयुक्त, अररिया के निदेश की अवहेलना की। अधिरोपित आरोपों को जाँच संचालन पदाधिकारी ने सही पाया है।

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम– 18 (3) के तहत संचालन पदाधिकारी के जाँच–प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए श्री परवेज नजीर को विभागीय ज्ञापांक– 158/रा० दिनांक 01.06.2012 के द्वारा उनसे लिखित अभिकथन की मांग की गयी। इस आलोक मे उनके द्वारा समर्पित अभिकथन एवं जाँच–प्रतिवेदन की समीक्षा सक्षम प्राधिकार द्वारा की गयी।

जाँच पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन, आरोप–पत्र एवं श्री नजीर का अभ्यावेदन की तुल्नात्मक समीक्षा की गयी, जिसमें निम्न तथ्य प्रकाश में आए हैं :–

1. श्री नजीर के विरूद्ध प्रथम आरोप है कि उन्होंने डेहटि पैक्स में अनियमति रूप से खाता खोलकर राशि जमा की। जाँच पदाधिकारी ने यह पाया है कि श्री परवेज नजीर द्वारा उनके कार्यकाल में कुल 6 चेकों के द्वारा रुपये 790.25 लाख (सात सौ नब्बे लाख

24/02/14

पचीस हजार) रुपये की राशि उसी खाते में जमा की गई। श्री नजीर ने यद्यपि अपने आवेदन में दिया है कि यह तर्क बिल्कुल गलत है कि उनके कार्यकाल में कोई भी चेक जमा नहीं किया गया परन्तु, समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री नजीर के विरूद्ध प्रथम आरोप में जाँच पदाधिकारी का मन्तव्य सही है एवं उनके द्वारा ही यह राशि जमा की गई थी।

2. इन्दिरा आवास मार्गदशिका के उलघंन के आरोप (संख्या–2) को जाँच पदाधिकारी ने सही पाया है। इस संबंध में श्री नजीर के द्वारा यह तर्क दिया गया है कि डेहटी पैक्स को राशि वापस करने हेतु कई पत्र लिखे गए, किन्तु राशि वापस नहीं हुई। यह स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती यदि वे मार्गदर्शिका के नियमों का पालन करते। अतएव जाँच पदाधिकारी का इस संबंध में मन्तव्य सही पाया गया है।

3. उप विकास आयुक्त, अररिया के निदेश की अवहेलना कर इन्दिरा आवास की राशि डेहटी पैक्स में जमा रखी गई। जाँच पदाधिकारी ने इसे भी सही पाया है। उन्होंने इस आश्य का भी उल्लेख किया है कि जब श्री परवेज नजीर से लेखा का जबरन कार्य लिया जा रहा था तो इनको चाहिए था कि इसकी सूचना उच्चाधिकारी को देते, किन्तु इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अतएव जाँच पदाधिकारी का मन्तव्य उचित पाया गया है।

इस प्रकार श्री परवेज नजीर ने सरकारी नियमों एवं निदेशों की अनदेखी करते हुए इन्दिरा आवास की राशि मो० रुपये 790.25 लाख (सात सौ नब्बे लाख पचीस हजार) रुपये डेहटी पैक्स में जमा किया, फलस्वरूप इस राशि का गबन हुआ।

अतएव उक्त तथ्यों के आलोक में श्री परवेज नजीर, निलम्बित, सहायक उर्दू अनुवादक–सह–नाजिर, सिकटी प्रखण्ड, जिला– अररिया को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम– 14 (ix) के आलोक में तात्कालिक प्रभाव से सेवा से पदच्यूत (Dismiss) किया जाता है। गबन की राशि मो०– 790.25 (सात सौ नब्बे लाख पचीस हजार) रुपये के 1/3 (एक तीहारी) की वसूली नियमानुसार श्री परवेज नजीर से जिला पदाधिकारी, अररिया द्वारा की जायेगी।

(ब्रजेश मेहरोत्रा) 24/2
प्रधान सचिव।

ज्ञाप सं०– उ०नि०– 06/2009....79..../**रा०, पटना, दिनांक** ...26.2.14...

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, अररिया को उनके पत्रांक– 223/स्था० प्र०, दिनांक 16.02.2010 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. **प्रतिलिपि** :– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिकटी प्रखण्ड, जिला– अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/02/14

3. **प्रतिलिपि** :— श्री परवेज नजीर, पदच्यूत सहायक उर्दू अनुवादक, सिकटी प्रखण्ड, अररिया / ग्राम— डोहर, पो०—भाया सोंथा, जिला— किशनगंज को निबंधित डाक द्वारा सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

4. **प्रतिलिपि** :— सरकार के सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी समाहर्त्ता / सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।

5. **प्रतिलिपि** :— आई०टी० मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के विभागीय बेवसाईट पर अपलोड हेतु दी जाती है।

24/02/14

24/02/14

24/2/14

(ब्रजेश मेहरोत्रा)
प्रधान सचिव।